

स्पीड पोस्ट

ई-मेल

संख्या-6/एफ1-303/2019 श्र0सं0-

2941

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/पटना/भागलपुर ।

सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर(रोहतास)/पूर्णियाँ मुख्यालय कटिहार/सहरसा/सारण  
(छपरा)/बेतिया।

श्रम अधीक्षक, अररिया-01/पूर्णियाँ-01।

पटना, दिनांक- 5-7-19

**विषय:-**

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101- औद्योगिक  
संबंध-मांग सं0-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का  
सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत  
किये गये आवंटनादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के  
आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध  
के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की  
व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का  
सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये  
CFMS Order No.- 2996 dated- 03-07-19 से आवंटित की गयी राशि के निकासी करने हेतु निम्न  
बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. CFMS Order No.- 2996 dated- 03-07-19 से आवंटित की गयी राशि प्रत्येक  
कार्यदिवस हेतु संभी संबंधित संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त को कैप  
कार्यालयों के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार के प्रमंडल अथवा जिले के कार्यालयों में अद्विन्यायिक  
कार्यों का निष्पादन तथा पर्यवेक्षण हेतु एवं मई दिवस 2019 के अवसर व्यय की गयी राशि  
की प्रतिपूति हेतु राशि आवंटित की गयी है।

i) विषयशीर्ष-0108-13-10 भाडे की गाडी का भुगतान (Hire Car) से  
आवंटित की गयी राशि से संभी संबंधित संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक  
श्रमायुक्त माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु कैप कार्यालयों के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार के  
प्रमंडल अथवा जिले के कार्यालयों में अद्विन्यायिक कार्यों का निष्पादन तथा पर्यवेक्षण हेतु, प्रति  
कार्यालय X 1200/-प्रतिदिन X 26 दिन (अधिकतम रू. 31,200/- मासिक) की दर पर  
नियमानुसार निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था करेंगे।

वाहन का उपभोग करने वाले सभी पदाधिकारी एक लॉग बुक का संधारण करेंगे तथा  
वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ है इस लॉग बुक में प्रतिदिन अंकित करेंगे। इस  
लॉग बुक के आधार पर ही वाहन पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता मासिक रूप से विभाग  
को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे तथा वाहन का उपभोग अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही  
करेंगे।



ii) विषयशीर्ष-0108.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से आवंटित की गयी राशि से सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मई दिवस 2019 के अवसर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूति हेतु राशि का उपयोग करेंगे ।

iii) विषयशीर्ष-0108.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से आवंटित की गयी राशि के निकासी के पूर्व सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मई दिवस 2019 के कार्यक्रम आयोजन के संदर्भ सभी आवश्यक साक्ष्य यथा- फोटो, अखबार कतरन, पम्पलेट इत्यादि निश्चित रूप से संलग्न करते हुए आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ।

2. **CFMS Order No.- 2996 dated- 03-07-19**, श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत निर्गत किये गये योजना की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या-2581 दिनांक-11.06.19 में निहित शर्तों के अधीन है।


3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

5. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

7. सभी आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।



(गोपाल मीणा)


श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-303/2019 श्र0सं0-

29/6/19

पटना, दिनांक- 5-7-19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-01(श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ प्रेषित ।



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।